छात्रवृत्ति (Scholarship) के नियम

1. छात्र/छात्रा महाविद्यालय का नियमित छात्र होना चाहिए।

2. छात्रवृत्ति प्रवेश तिथि के अनुसार देय होगी। यदि प्रवेश तिथि माह की 20 तारीख से पूर्व की है तो उक्त माह की छात्रवृत्ति देय होगी, अन्यथा नहीं।

3. जाति प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा का होना चाहिए एवं आय प्रमाण पत्र पिता/अभिभावक का होना चाहिए।

4. छात्रवृत्ति फार्म शासन के निर्देशानुसार पूर्ण रूप से भरकर सभी प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अवश्य जमा करें तथा उसके साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, प्रवेश शुल्क रसीद, आय प्रमाण पत्र (मूल प्रति), उत्तीर्ण की गयी कक्षा की अंकतालिका, बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी।

5. **कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्रा को पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही छात्रवृत्ति देय होगी। इस आशय का रुपया 10 के स्टाम्प पर शपथ पत्र कि द्वितीया, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर में अध्ययन न करने पर अथवा पड़ी छोड़ने पर प्राप्त छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का 18% ब्याज सहित महाविद्यालय को जमा कर दूँगा/दूँगी ।**

6. छात्रवृत्ति का भुगतान शासन द्वारा अभ्यर्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। अभ्यर्थी को जनपद में किसी भी बैंक की राष्ट्रीयकृत शाखा में अपना खाता खुलवाकर उसका विवरण महाविद्यालय में देना आवश्यक होगा।

7. प्रवेशार्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने व्यक्तिगत नाम से खाता खुलवा लें ताकि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में इसका उल्लेख किया जा सके तथा बैंक पास बुक की छाया प्रति संलग्न की जा सके। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ ऐसे छात्र/छात्राऐं ही अर्ह होंगे जिनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय रूपये दो लाख पचास हजार-एस०सी/एस०टी वर्ग तथा दो लाख -अन्य वर्ग के लिये होगी।

8. छात्र/छात्रायें अपने आधार कार्ड की छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा आधार कार्ड को मोबाइल नं. से लिंक करा लें।

घोषणा पत्र

(छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

1. मैने सत्र __________ मे मात्र एक ही छात्रवृत्ति के लिये आवेदन किया है। मेरे द्वारा एक से अधिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किये जाने का तथ्य संज्ञान में आने पर यदि मेरा छात्रवृत्ति आचेदन फार्म निरस्त किया जाता है अथवा मुझे छात्रवृत्ति से वंचित किया जाता है तो मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

2. महाविद्यालय में अपनी 75 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करूंगा / करूंगी। मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर यदि मेरा छात्रवृत्ति आवेदन फाम् निरस्त किया जाता है तो मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

3. मेरे माता पिता अथवा अभिभावक की सम्पूर्ण स्रोतों से वार्षिक आय, सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये दो लाख तथा एस० सी०/एस० टी० वर्ग के लिये ढाई लाख से अधिक होने का तथ्य संज्ञान में आने पर यदि छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त किया जाता है है तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा / रहूंगी। तथा किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का दावा नहीं करूंगा करूंगी।

4. यदि मेरे छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में हाईस्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर स्वयं का नाम, पिता का नाम जन्मतिथि, आधार नम्बर, नामांकन संख्या, नानरिफण्डेबल शुल्क की धनराशि, बैंक खाता संख्या, बैंक आई० एफ० सी० कोड, विगत उत्तीर्ण कक्षा का प्राप्तांक / पूर्णाक, प्रतिशताक, अनुक्रमांक आदि प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि एवं सत्यगोपन के कारण छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त किया जाता है तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा रहूँगी।

5. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं उदण्डता किये जाने पर मेरे विरुद्ध दण्डात्मक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर यदि मेरा प्रवेश और छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त किया जाता है तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा / रहेंगी। और किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

6. मेरे द्वारा भरे गये आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में कोई भी प्रविष्टि/डाटा/विवरण त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण संदिग्ध तथा असत्य अंकित एवं प्रविष्ट हाने के कारण यदि मेरा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त किया जाता है अथवा छात्रवृत्ति से वंचित किया जाता है तो इसके लिये मैं मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा / रहेंगी।

7. मेरे द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में अंकित किया गया बैंक खाता संख्या चालू स्थिति में है तथा आधार व मोबाइल से लिंक है तथा उसमें अंकित मोबाइल न० मेरा स्वयं का है व चालू स्थिति में है।

पिता का हस्ताक्षर	छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर
पिता का नाम-	छात्र/छात्रा का नाम
दिनाकं -	कक्षा-
	वर्ग

छात्रवृति आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश

महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र _________ में छात्रवृति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट http://scholarship.up.gov.in पर उपलब्ध प्रारूप में आमंत्रित किये जायेंगे । अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेंगे ।

- मुस्लिम / सिक्ख / ईसाई/जैन/पारसी, वर्ग के छात्र -छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के अन्तर्गत आवेदन करेंगे चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हो।

- छात्रवृत्ति आवेदन किसी भी अपूर्णता, अस्पष्टता या त्रुटि के कारण निरस्त होता है तो उसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा। सभी कालम पूर्ण हों छात्र आनलाइन सबमिट करने से पहले स्वयं जांच कर लें ।

- छात्रवृत्ति आवेदन पत्र सेट में जमा होगा। आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्नक सूचना से दर्शाए गये क्रम के अनुसार संलग्न होना चाहिए।

- एक वित्तीय वर्ष में एक ही छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है अतः छात्र का एक ही प्रकार का छात्रवृत्ति आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित किया जायेगा।

- छात्रवृत्ति हेतु अधिकतम् आय सीमा एस०सी/एस०टी वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये दो लाख पचास हजार तथा अन्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये दो लाख रूपया है।

- छात्रवृत्ति की किसी भी अन्य सूचना के लिए सूचना पट् देखें।

- पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रकार-फ्री सीट भरेंगे ।

- पाठ्यक्रम का प्रकार - रेग्यूलर भरेंगे।

- छात्र का प्रकार-दिवाछात्र भरेंगे।

- छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की जाँच छात्रवृत्ति समिति द्वारा की जायेगी।

छात्रवृत्ति हेतु सलंग्नको की सूची

छात्र -छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसका प्रिंट आउट निम्नलिखित सलंग्नको के साथ महाविद्यालय में स्वयं जाँचने तथा वर्गवार सम्बंधित अध्यापक से हस्ताक्षर कराने के बाद जमा करेंगे ।

1. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
2. इण्टर प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
3. आय प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
4. आय प्रमाण पत्र के सत्यापन (इन्टरनेट द्वारा) को स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
5. जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति (अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)
6. जोति प्रमाण पत्र के सत्यापन (इन्टरनेट द्वारा) को स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
7. सामान्य निवास प्रमाण पत्र की स्व्प्रमाणित छायाप्रति (सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु)
8. सामान्य निवास प्रमाण पत्र के सत्यापन (इन्टरनेट द्वारा) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
9. बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छयाप्रति जिस पर सी०बी०एस० खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०कोड, अनिवार्य रूप से अंकित हो।
10. गत्तवर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।
11. शुल्क रसीद की स्वप्रमाणित छायाप्रति
12. परिचय पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
13. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाचि
14. यदि किसी कोर्स के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथ पत्र मूल रूप में।
15. छात्र/छात्रा का आधार कार्ड मोबाइल नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है।